न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
120 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	07.12.2022	10.01.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1—श्री सत्यनारायण जैन पुत्र श्री बंशीधर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण विनोद कुमार बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक राज. निवासी एफ—81 एसबीआई बैंक के पीछे दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.
2—श्री धीरज कुमार मित्तल पार्टनर मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी—70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज.
..............अप्रार्थीगण

[redacted]जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (v) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—फर्म के प्रतिनिधि श्री पारस कुमार जैन उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 10.01.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.07.2022 को समय 02:01 पी.एम पर मैसर्स सत्यनारायण विनोद कुमार बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सत्यनारायण जैन पुत्र श्री बंशीधर जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सत्यनारायण जैन ने स्वयं को मैसर्स सत्यनारायण विनोद कुमार बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री सत्यनारायण जैन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** दुकान की रैक में 452—452 ग्राम के 23 नग मूल पैक रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व [redacted]रीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सत्यनारायण जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** जिसके बैच नं0 पीबी—06—22 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 452—452 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्या।
ग

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** 452–452 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3214 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3214 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री सत्यनारायण जैन मैसर्स सत्यनारायण विनोद कुमार बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1982 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2344/एक्ट/2022/2369 दिनांक 21.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमनाक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थी श्री सत्यनारायण जैन व प्रबंधक मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. को भिजवायी गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स के. आर. सेल्स. कॉरपोरेशन दुकान नं. बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलबध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. की छायाप्रति के साथ–साथ बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से फर्म प्रतिनिधि श्री पारस कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 40,000/—(अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0